

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र / 03 / 2020

जम्बो फिनवेस्ट (इंडिया) लिमिटेड कार्यालय-102,कंचन अपार्टमेन्ट,एल.बी.एस.कालेज के सामने तिलक नगर, जयपुर, शाखा कार्यालय भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1-गोविन्द प्रसाद पुत्र धनीराम शर्मा,पता- प्लॉट नं.275,राजेन्द्र नगर ,वार्ड नं0 21,भरतपुर ।

.....ऋणी / बंधककर्ता

2-राकेश कुमार पुत्र छिद्दी राम उर्फ कमलेश कुमार पता- ग्राम खौखर, तहसील व जिला भरतपुर ।

.....जमानती

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्सन ऑफ फाइनान्सियल एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002

आदेश

दिनांक 25.2.2020

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 24.10.2015 को प्रार्थी से 500000 /- रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने रिहायशी मकान नं. 508 राजेन्द्र नगर भरतपुर जिसका क्षेत्रफल 50.55 वर्ग गज है (जिसके हदूद अरबा इस प्रकार है- पूर्व -मकान न.509, पश्चिम-मकान नं.507, उत्तर- अन्य प्लॉट, एवं दक्षिण में सड़क है) को प्रार्थी के हक में बन्धक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 30.4.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी के दिनांक 17.02.2019 तक 637654/- रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी./ऋणी पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी. ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 25.2.2019 को अप्रार्थी. ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा

.....2

करें। किन्तु अप्रार्थी ऋणी द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी. ऋणी द्वारा ऋण एवं देय ब्याज राशि की अदायगी नहीं की गई है। अतः ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 25.2.2019 अप्रार्थी/ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थी0 ऋणी द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। प्रार्थी के द्वारा सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थी को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी. ऋणी द्वारा प्रार्थी से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी.ऋणी ने रिहायशी मकान नं. 508 राजेन्द्र नगर भरतपुर जिसका क्षेत्रफल 50.55 वर्ग गज है (जिसके हदूद अरबा इस प्रकार है- पूर्व -मकान न.509, पश्चिम- मकान नं.507, उत्तर- अन्य प्लॉट, एवं दक्षिण में सड़क है) को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किये थे, उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी को खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर,
भरतपुर

